



7/16/12

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
24/11/20	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा०, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-18/12/20 को उपस्थापित करें।</p>	 अंचल अधिकारी, निरसा।
18/12/20	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में केवाला दलील, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद, फॉर्म M, लगान-रसीद, दिनांक 01.01.1946 के पूर्व का निबंधित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्षों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है/नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर संबंधित भूमि का हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-02/01/21 को उपस्थापित करें।</p>	 अंचल अधिकारी, निरसा।
02/01/21	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1704/रा०, दिनांक-15.07.2020 एवं विभागीय संकल्प सं०-6144/रा०, दिनांक-21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबंदी नियमितीकरण/रद्द</p>	

करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-पुरुषपुरा,
 मौजा नं-252, खाता सं-129, प्लॉट सं-538, रकवा-12, फ्लॉप्ट सं-539
 गत् सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद खाते की भूमि है। उपरोक्त भूमि शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त भूमि शासकीय परिसरों/संस्थानों के आस-पास 150-150 मीटर के अन्तर्गत आता है तथा राजपथ/उच्चपथ/मुख्यार्ग के 150-150 मीटर के अन्तर्गत पड़ता है। फलतः उक्त भूमि का जमाबंदी नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार रैयतसन्नीष्ठवाला, सौ. कुमार झूठवाला के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-110 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के तहत् पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-110 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर समाहर्ता, धनबाद को भेजें।



अंचल अधिकारी,
निरसा।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

जनतेख वाद संख्या-- 748/16-17

वाद का प्रकार— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित—^{पी} अनुज मुखर्जी, विदेशक, भू-उद्योग-सह-विशेष समिति, राजारय एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—०-खा०म०निति-११९/८५/२३०८/रा०, दिनांक-०३.०९.१९८५ एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-९१४/रा०, दिनांक-०९.१२.१९९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरगजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं ३०निंद्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :—

गोजा—....., थाना—....., खाता संख्या—....., प्लॉट संख्या—.....
५३८/५३९, रक्का—०.१२.१। एडड की भूमि जो गैरगजरुआ खास अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की राजकारी भूमि है, जिराकों जमाबंदी उरा गोजा के पंजी—॥ के जिल्द संख्या—....., के पृष्ठ संख्या—....., पर जमाबंदी रैयत सुधारित वाला रेखा (१००) के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के पिरुद्ध कायम जामबंदी को सदिग्द प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन ऐ प्रतीत होता है कि उपर्युक्त उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना चाहिये प्रतीत होता है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से रूप्त होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक—..... को उपराखापित करें।

प्रतीक्षित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी